



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

( भारत सरकार का उपक्रम  
- मिनीरत्न कम्पनी )

बीज भवन, पूसा परिसर  
नई दिल्ली -110012  
फैक्स 011-25846462

GST No. 08AABCN8973F2Z3

NATIONAL SEEDS CORPORATION  
LIMITED

(A Government of India Undertaking)

(CIN : U74899DL1963PLC003913)

BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-110 012 (INDIA)

Website: [www.indiaseeds.com](http://www.indiaseeds.com)

CENTRAL STATE FARM - SURATGARH

District- Sriganaganagar - 335804 (Raj.)

PHONES : 01509- 220084, 220309 (Office) Tele-Fax: - 01509- 223877

e-mail - [csfsogmkg@gmail.com](mailto:csfsogmkg@gmail.com)

क्रमांक: सीएसएफ/एसओजी/एमकेजी/10-25/2017 18

दिनांक

05.03.2018

## निविदा सूचना

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ (राजस्थान) द्वारा सर्वसधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे फार्म को लगभग 150000 एक बार प्रयोग किये हुई खाली बोरिया जिसकी क्षमता 50 किलो कि हो की आवश्यकता है अतः सभी पंजीकृत फर्मो से अनुरोध है कि इस बाबत अपनी दरे जो कि बन्द लिफाफे में निदेशक केन्द्रिय राज्य फार्म सूरतगढ के नाम दिनांक 23.03.2018 को दिन के 3.00 बजे तक फार्म कार्यालय में आमंत्रित करते है । इस बाबत फर्म को रूपये 20000.00 का डी0डी0 बतौर धरोहर राशि के रूप में निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा जो कि नेशनल सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड सूरतगढ के नाम देय हो । अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी । इस बाबत नियम व शर्ते निगम कि वैबसाइट [www.Indiaseeds.com](http://www.Indiaseeds.com) पर देखी जा सकती है अथवा किसी भी कार्यदिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त कि जा सकती है ।

विपणन अधिकारी  
कृते निदेशक

## खाली बोरियो को कय करने हेतु नियम व शर्ते निम्न प्रकार है ।

1. सफल निविदादाता को कय आदेश जारी होने के 3 कार्य दिवसो में आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी ।
2. दर प्रति बोरी सही कर सहित केन्द्रिय राज्य फार्म सूरतगढ गोदाम आपूर्ति की देनी होगी
3. सफल निविदादाता द्वारा बोरीयो की आपूर्ति करने के पश्चात फार्म समिति द्वारा बोरियो का निरीक्षण किया जायेगा तथा बोरिया सही पाये जाने पर ही भुगतान किया जायेगा ।
4. बोरियो की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है
5. एनएससी के पास बिना कारण दर्शाये किसी एक या सभी निविदाओ का स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है ।
6. फर्म द्वारा निविदा के साथ फर्म का लैटरपेड मोहर सहित, पेन कार्ड की प्रति, जीएसटी. नम्बर की प्रति लगाना आवश्यक है । अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी ।
7. असफल निविदादाताओ को धरोहर राशि बिना किसी ब्याज के वापिस लौटा दी जायेगी ।
8. इस बाबत किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर न्याय क्षेत्र सूरतगढ परिधि में होगा ।

विपणन अधिकारी  
कृते निदेशक